रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2008/भाद्र 19, 1930

No. 322] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2008/BHADRA 19, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2008

सं. 78 (आरई-2008)/2004—2009

फा. सं. 01/53/162/229/एम-51/एएम 07/आईं एल एस पार्ट.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

2. निम्नलिखित नए पैराग्राफ को प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-1 में जोड़ा जाएगा :—

पैरा 2.37क : आवेदक द्वारा, लिखित रूप से, दिए गए विकल्प के अनुसार, किसी बंदरगाह या हवाई अड्डे या आईसीडी या एलसीएस के जरिये प्रतिबंधित मद का आयात करने के लिए यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा निदेश किया जाता है तो आयात प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे । प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार पत्र में दर्शाए गए पत्तन पर उसे पंजीकृत करेगा और उसके बाद केवल उसी पत्तन से उपरोक्त प्राधिकार पत्र के मद्दे सभी आयात किए जाएंगे, जब तक कि प्राधिकार पत्र धारक किसी अन्य विशिष्ट पत्तन से आयात के लिए संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं करता ।

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th September, 2008

No. 78 (RE-2008)/2004—2009

F. No. 01/53/162/229/M-51/AM 07/ILS Pt.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. I) :—

2. The following new paragraph shall be added in Handbook of Procedures Vol. I :

Para 2.37A : Import authorizations for a restricted item if so directed by the competent authority, shall be issued for import through one of the sea ports or air ports or ICDs or LCS, as per the option indicated, in writing, by the applicant. Authorization holder shall register the same at the port specified in the authorization and thereafter all imports against said authorization shall be made only through that port, unless the authorization holder obtains permission from customs authority concerned to import through any other specified port.

3. This issues in Public Interest.

R.S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.